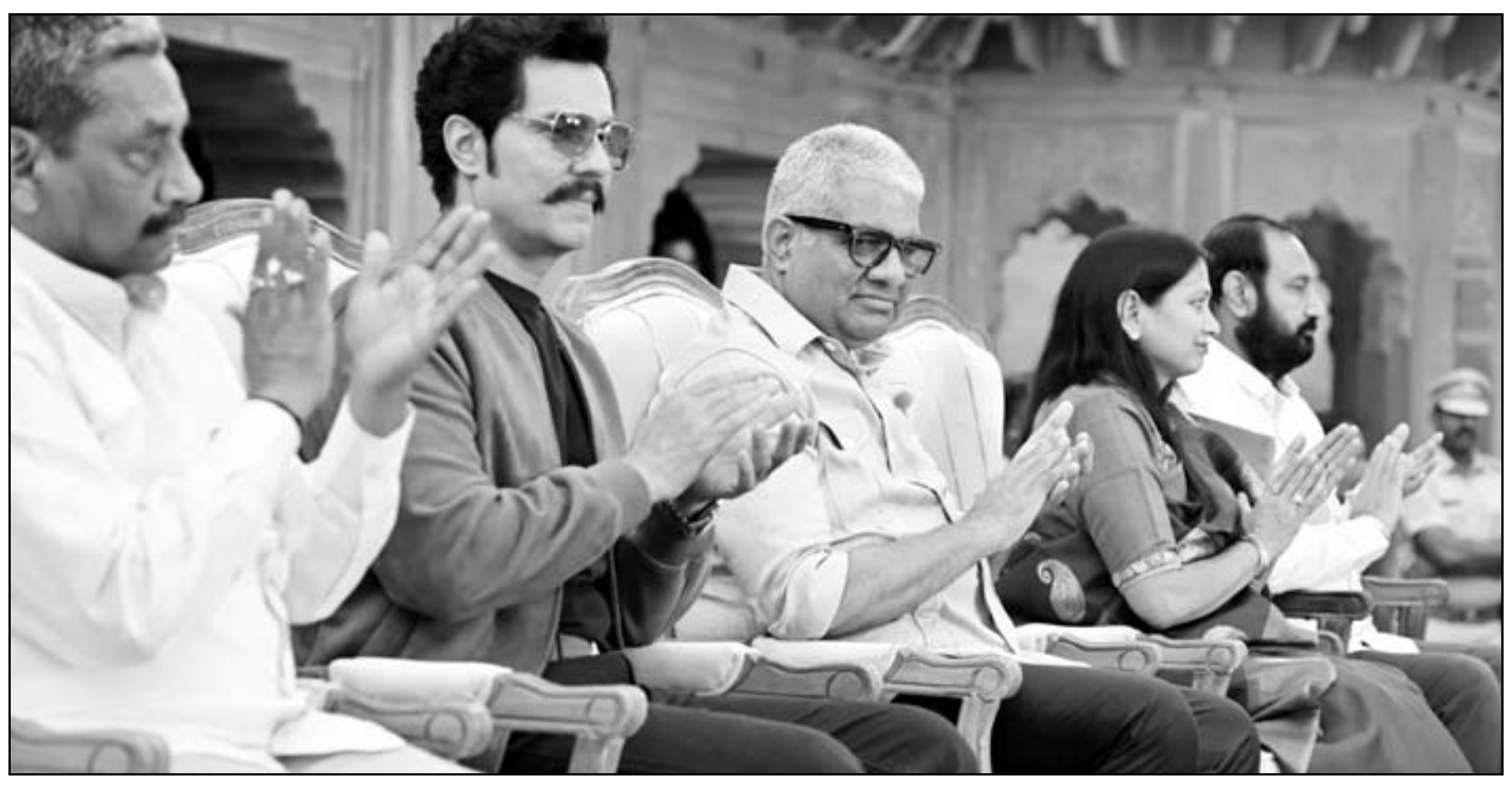
वन मंत्री यादव व रणदीप हुड्डा की मौजूदगी में ''अलवर टाइगर मैराथन'' टी-शर्ट का अनावरण

अलवर, (निसं)। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव एवं मैराथन के ब्रांड एंबेसडर एवं प्रसिद्ध अभिनेता रणदीप हुड्डा की गरिमामयी उपस्थिति में आज ऐतिहासिक मूसी महारानी की छतरी परिसर में 7 फरवरी 2027 को आयोजित होने वाली 'अलवर टाइगर मैराथन' के तीसरे संस्करण के उद्घोष कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण अलवर टाइगर मैराथन के आधिकारिक शुभंकर 'सरिस्का वीर' का शुभारंभ रहा। सरिस्का वीर के माध्यम से बच्चों, युवाओं एवं परिवारों को बाघ संरक्षण, वन एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया जाएगा। इस अवसर पर सरिस्का वीर द्वारा केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव एवं अभिनेता रणदीप हुड्डा को अलवर टाइगर मैराथन–2027 की आधिकारिक टी–शर्ट भेंट की गई। इसके पश्चात अतिथियों ने संयुक्त रूप से टी–शर्ट का अनावरण



केंद्रीय मंत्री यादव व अभिनेता रणदीप हुड्डा 'अलवर टाइगर मैराथन' के तीसरे संस्करण के उद्घोष कार्यक्रम में शामिल हुए।

किया तथा फोटो सेशन में भाग लिया। कार्यक्रम में राजस्थान पर्यटन विभाग एवं वी–शक्ति ट्रस्ट के मध्य अलवर टाइगर मैराथन के संबंध में एमओयू हुआ, जिस पर राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से अतिरिक्त निदेशक राजेश शर्मा एवं वी–शक्ति ट्रस्ट की ओर से प्रज्ञा यादव ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान अतिथियों द्वारा मुम्बई हमले के दौरान अदम्य साहस का परिचय देने वाले अलवर निवासी कमांडो सुनील जोधा एवं अजमेर निवासी अल्ट्रा रनर सुफिया

- 7 फरवरी को होगा मैराथन का तीसरा संस्करण, आधिकारिक शुभंकर 'सरिस्का वीर' का हुआ लोकार्पण
- आधिकारिक टी-शर्ट का किया अनावरण

सोफी का शॉल ओढाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया।

केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने आमजन को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अलवर टाइगर मैराथन टाइगर एवं प्रकृति के संरक्षण के साथ पर्यटन को बढावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो खेल के साथ–साथ स्वस्थ नागरिक, सुरक्षित प्रकृति व सशक्त समाज का संदेश देती है।

पावटा: दीपावली पर सड़कों पर लगा जाम, यातायात व्यवस्था चरमराई

पावटा(निसं)। दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भारी भीड़ के बीच पावटा प्रागपुरा नगरपालिका क्षेत्र में यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराती नजर आई। कस्बे के प्रमुख बाजारों और मुख्य मार्गों पर दिनभर जाम के हालात बने रहे।

- त्योहारी भीड़ के आगे बेबस नजर आई पुलिस, घंटों जाम में फंसे रहे वाहन चालक और राहगीर

सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, वहीं दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों सहित मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस घंटों तक जाम में फंसे रहे। दीपावली जैसे बड़े पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के दावे किए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हुईं। बाजारों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पहुंचे। इसके चलते मुख्य बाजार, चौराहों और प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। दुकानों के सामने बेतरतीब खड़े वाहन और सड़क तक फैले सामान के कारण रास्ते संकरे हो गए। देखते ही देखते यातायात बाधित हो गया और वाहन रेंगते नजर आए। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि दीपावली पर्व को देखते हुए पहले से ही यातायात प्रबंधन की आवश्यकता थी। बाजारों में पुलिसकर्मियों की पर्याप्त तैनाती, वन–वे व्यवस्था और पार्किंग के लिए वैकल्पिक स्थान निर्धारित किए जाने चाहिए थे। लेकिन समय रहते प्रभावी इंतजाम नहीं होने से आमजन को परेशानी झेलनी पड़ी। त्योहारों पर बाजारों में भीड़ बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन को पहले से योजना बनानी चाहिए। इसके बावजूद जाम के हालात बने रहना यातायात प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल खड़े करता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में त्योहारों के दौरान जाम से निजात दिलाने के लिए स्थायी यातायात योजना बनाई जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

उत्तर पश्चिम रेलवे

खुली ई–निविदा सूचना

मण्डल रेल प्रबन्धक इन्जीनिरिंग उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के द्वारा भारत संघ के राष्ट्रपति एवम् उनकी ओर से ई–निविदा के माध्यम से प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में निविदा निम्न कार्यो के लिए क्रमानुसार आमंत्रित की जाती है। **क्र. सं.: 1। निविदा संख्या/कार्य का नाम:** निविदा स०–इजी.–जेपी–2026–27–117–R जयपुर डिवीजन में फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक सिंगल रेल टेस्टर (PAUT SRT) का उपयोग करके रेल की अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। **अनुमानित लागत:** 3800000.00। **बिड प्रतिभूति राशि:** 76000.00। **क्र. सं.: 2। निविदा संख्या/कार्य का नाम:** निविदा स०–इजी.–जेपी–2026–27–134 सहायक मंडल इंजी. मुख्यालय/II उप–मंडल DO-GGC खंड में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए बाड़ (फेंसिंग वॉल) लगाना। **अनुमानित लागत:** 28620018.52। **बिड प्रतिभूति राशि:** 572400.00। **क्र. सं.: 3। निविदा संख्या/कार्य का नाम:** निविदा स०–इजी.–जेपी–2026–27–136 सहायक मंडल इंजी. रींगस सेक्शन के अधिकार क्षेत्र में. कुंड से नारनौल तक हाल ही में चालू किए गए ट्रैक का रखरखाव, जिसमें शेष (P-way) कार्य भी शामिल हैं। **अनुमानित लागत:** 66491528.70। **बिड प्रतिभूति राशि:** 1329800.00। **1.** उपरोक्त निविदाओं का पूर्ण विवरण वेब साइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। नोटिस बोर्ड–मण्डल रेल प्रबन्धक (निर्माण लेखा) उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के कार्यालय में देखी जा सकती है। **2.** निविदा संख्या **इजी./जेपी/2026-27-134 व 136 & 117-R** की बन्द होने की तिथि 26.11.2026 समय 15.00 बजे एवं खुलने की तिथी 26.11.2026 समय 16.00 बजे।

1616-MG/26

हमें /NWRailways /NWRailways_ पर फॉलो करें

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई–निविदा सूचना

मण्डल रेल प्रबन्धक (बिजली), उत्तर–पश्चिम रेलवे, अजमेर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से नीचे दिये गये कार्य के लिये दी गई तिथि को 15.00 बजे तक ई निविदा आमंत्रित की जाती हैं। **निविदा संख्या:** मं.रे.प्र. (बि.) – 34–26–27। **कार्य का नाम:** All Div.: Rewiring of Staff quarters on age cum condition basis at Railway Hospital & GLO Ajmer and Aburoad station। **अनुमानित लागत:** ₹59,58,910/–। **बयाना राशि :** ₹1,19,200/–। **ई निविदायें बन्द होने की तिथि:** 27/11/2026। उपरोक्त ई निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये वैबसाइट का पता – **www.ireps.gov.in**। **1610-MG/26**

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

शुभकामनाएं दी

सवाई माधोपुर, (निसं)। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट काना राम ने दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाईदूज के पावन पर्व पर जिलेवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

नाम परिवर्तन

मैने अपना नाम कान सिंह पुत्र भरत सिंह से बदलकर कान सिंह राजावत रख लिया है, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाये कान सिंह राजावत ए-111, मुरलीपुरा स्कीम जयपुर

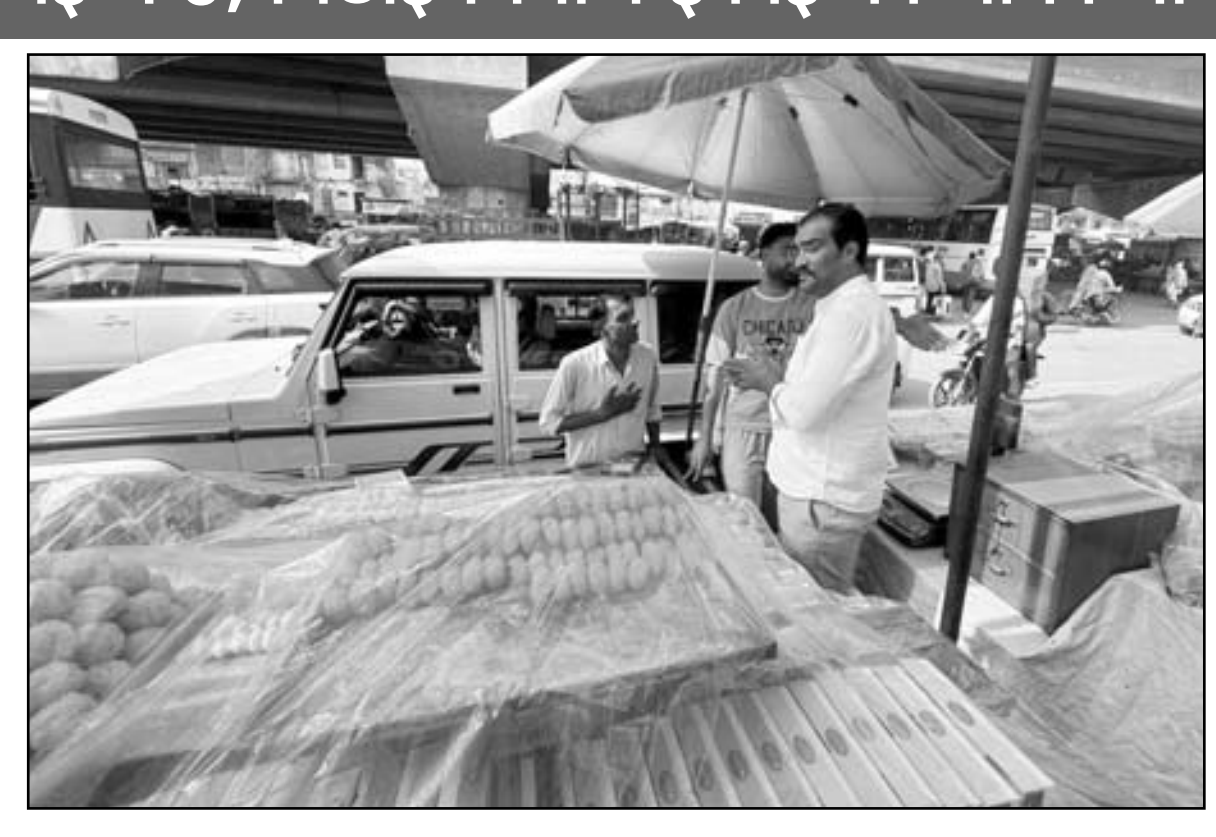
I, RUKMANI mother of No. 8037389N HAV(GD) Ajit Kumar R/o Vill: No-486, Plot-26 Mohalla-Jarauli face-2 , Po: Barra, Teh: Kanpur, PS: Barra, Dist: Kanpur Nagar, State: Uttar Pradesh, PIN: 208027 I have changed my name from RUKIMIN DEVI to RUKMANI and Date of Birth from 01 January 1955 to 01 January 1974 Vide affidavit No. CP735768 Date 04/11/2026 (Jaipur)

कोटपूतली : खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में 350 किलोग्राम दूषित मिठाई नष्ट

जलेबी, पेड़ा, गुलाब जामुन, लड्डू, रसगुल्ला सहित विभिन्न मिठाइयां करवाई गई नष्ट, मिठाई निर्माण इकाई का भी किया निरीक्षण

कोटपूतली(निसं)। दीपावली पर्व के मद्देनजर आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विशेष अभियान के तहत सघन निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को सीएमएचओ डॉ. आशीष सिंह शेखावत के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने कोटपूतली शहर के विभिन्न मिठाई प्रतिष्ठानों एवं खाद्य कारोबार स्थलों का निरीक्षण किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों बहादुर सिंह चौधरी, विजेंद्र कुमार एवं राजसिंह चौहान की टीम ने निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों पर पाई गई दूषित एवं अस्वास्थ्यकर मिठाइयों को मौके पर



खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने कोटपूतली शहर के विभिन्न मिठाई प्रतिष्ठानों एवं खाद्य कारोबार स्थलों का निरीक्षण किया।

ही नष्ट करवाया। कार्रवाई के दौरान जलेबी, पेड़ा, गुलाब जामुन, लड्डू, रसगुल्ला, बालूशाही एवं सोनपापड़ी सहित लगभग 350 किलोग्राम मिठाई

- प्रतिष्ठानों पर पाई गई दूषित एवं अस्वास्थ्यकर मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट करवाया

नष्ट करवाई गई।

इसी क्रम में टीम द्वारा राजस्थान स्वीट भंडार एवं उसकी निर्माण इकाई का भी निरीक्षण किया गया। खाद्य कारोबारकर्ता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा संबंधित नियमों के अनुरूप खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं विक्रय करने तथा स्वच्छता एवं गुणवत्ता मानकों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

एनसीआर में ग्रीन पटाखे चलाने के लिए निर्धारित समय में मिलेगी छूट

कोटपूतली–बहरोड़, (निसं)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं उपयोग को लेकर नवीन दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान सरकार के शासन सचिव शैलजा देवल द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोटपूतली–बहरोड़ जिले सहित राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र में शामिल जिलों में केवल निर्धारित समयावधि के दौरान – द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। जिले की तहसील बहरोड, नीमराना, मांढण, बानसूर, नारायणपुर क्षेत्र एनसीआर में शामिल है। आदेश के अनुसार जिले में 7 एवं 8 नवंबर 2026 को प्रात: 6 से 7 बजे तक तथा रात्रि 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। निर्धारित दो दिवसों के अतिरिक्त अन्य दिनों में पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

उत्तर पश्चिम रेलवे **निविदा सूचना**

शुद्धि–पत्र–01

भारतसंघ के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), उत्तर पश्चिम रेलवे, जवाहर सर्किल, जयपुर, आमंत्रित निविदा संख्या–**NWR-SC-HQ-JP-05-2026-2027, dated 03/11/2026,** निविदा जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय 15/12/2026 को 15:00 बजे के स्थान पर दिनांक: 27/11/2026 को 15:00 बजे कर दी गई है।

उप मुख्य इन्जीनियर (निर्माण) वर्क्स, उत्तर–पश्चिम रेलवे, प्रधान कार्यालय जयपुर

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें **1613-MG/26**

कार्यालय प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, नरायना सांभर लेक (जयपुर)

क्रमांक : MGGS/narayana/JPR/380 दिनांक 6/11/2026

नीलामी सूचना

सर्व धारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमान सीबीईओ सांभर लेक के आदेश क्रमांकः सीबीईओ/सांभर/जय/लेखा/2026-27/1749 दिनांक 3/11/2026 की अनुपालना मे स्थानीय विद्यालय में आईसीटी लैब के अनुपयोगी कंप्यूटर, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर आदि अन्य सामग्री की नीलामी दिनांक 23/11/2026 को प्रातः 11:00 बजे रखी गई है।

अतः इच्छुक जीएसटी रजिस्टर्ड खरीदार थरोहर राशि 2% जमा करवाकर बोली में भाग ले सकते है। सामान एवं अन्य शर्तों का अवलोकन कार्यालय समय मे विद्यालय में उपस्थित होकर किया जा सकता है।

प्रधानाचार्य म गा रा विद्यालय, नरायना सांभर लेक (जयपुर)

मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर कलेक्टर ने बैठक ली

कोटपूतली(निसं)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2027 के संदर्भ में जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपर्णा गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुनरीक्षण कार्यक्रम की निर्धारित समय–सारणी, मतदाता सूचियों के अद्यतन एवं शुद्धिकरण तथा दावे–आपत्तियों की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

- 12 नवंबर को होगा मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन, 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची होगी प्रकाशित

बैठक में उपस्थित अतिरिक्त जिला कलेक्टर सोहन सिंह नरुका सहित चुनाव शाखा से तहसीलदार स्नेहलता राजोरिया एवं बीजेपी से अशोक सुरेलिया तथा कांग्रेस से जगदीश मीणा, रोहित यादव, रामनिवास यादव, रघुवीर सिंह यादव एवं सुरेश कुमार यादव ने भी अपने विचार रखे जिस पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय–सारणी के संबंध में बताया गया कि मतदान केंद्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थीकरण की प्रक्रिया 2 नवंबर 2026 तक पूर्ण कर ली गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 नवंबर 2026 को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा।

16 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र वापस लिए



पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में नाम वापसी के दिन कुल 16 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नाम निर्देशन पत्र वापस लिए हैं।

निवाई(निसं)। पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के तहत नाम वापसी के दिन विभिन्न वार्डों से कुल 16 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिए हैं। रिटर्निंग अधिकारी गंभीर सिह ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के तहत नाम वापसी के दौरान वार्ड संख्या 2 से मुकेश मीणा, वार्ड संख्या 4 से प्रेम देवी, वार्ड संख्या 7 से निर्मला, मीना गुर्जर व सायर ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली है। इसी क्रम में वार्ड संख्या 9 से राजेन्द्र, वार्ड संख्या 11 से बनवारी व पूरण मल, वार्ड संख्या 13 से रमेशी देवी एवं निलम शर्मा ने अपने पर्चे वापस लिए हैं। इसके अलावा वार्ड संख्या 17 से लाली मीना, वार्ड संख्या 18 से श्रवण कुमार उर्फ श्रवण सिंह, वार्ड संख्या 23 से मानसिंह गुर्जर, वार्ड संख्या 24 से बनवारी लाल, वार्ड संख्या 25 से चावली व वार्ड संख्या 26 से गंगाधर ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिससे अब संबंधित वार्डों में चुनावी तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। उन्होंने बताया कि पंचायत राज के चुनाव को लेकर जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के चुनाव को लेकर 14 नवम्बर को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। सरपंच व वार्ड पंच के चुनाव को लेकर 16 नवम्बर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। इसी प्रकार सरपंच व वार्ड पंच के चुनाव को लेकर 15 नवम्बर तक आवेदन होंगे। इसी दिन 2 बजे तक नाम वापसी होगी। 2 बजे के बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। 16 नवम्बर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे एवं मतदान समाप्ति के बाद मतगणना होगी व मतगणना के बाद परिणाम घोषित होंगे।

- डीआर व सीआर का 14 को होगा मतदान

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगरपरिषद् कुचामन सिटी

Email : eo.mcorp.kuchaman@rajasthan.gov.in munibkcity@gmail.com फ़ोन नं. 01586-220022 01586-221526

क्रमांक :– न.प.कु./2026–27/5086 दिनांक :– 06.11.2026

लोक सूचना

निम्न लिखित आवेदको द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
1.	श्री कमल कुमार पहाड़िया पुत्र टिकमचन्द जाति जैन	तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन	श्रवणपुरा	713/225 714/226	0.2500 Hq. 0.5600 Hq.

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर–भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 06.11.2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी
आयुक्त नगरपरिषद् कुचामन सिटी

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी

आवश्यक सूचना मूलतः आवास संख्या 4/52, अरावली विहार, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाडी श्री जोधराज सैनी को आवंटन पत्रांक 1745 दिनांक 31.08.2010 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा इनके पक्ष मे आवास का अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 1105 दिनांक 22.05.2012 को जारी किया जा चुका है। इनके द्वारा उक्त आवास की रजिस्टी स्वयं के पक्ष मे दिनाक 17.06.2012 को उप पंजीयक कार्यालय भिवाड़ी मे पंजीकृत करवाई जा चुकी है। इनके द्वारा उक्त आवास का बेचान उपरांत मण्डल द्वारा अंतिम क्रेता श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री महादेव प्रसाद के पक्ष मे लीज हस्तांतरण आदेश क्रमांक 161 दिनांक 27.04.2023 को जारी किया जा चुका है। इनके द्वारा उक्त आवास का बेचान दिनांक 29.04.2024 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा श्री सुन्दर पाल शर्मा पुत्र श्री सुबेसिंह शर्मा को कर दिया गया।

श्री सुन्दर पाल शर्मा द्वारा उक्त आवास का बेचान पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये दिनांक 22.05.2025 को श्रीमती मधुबाला पत्नी श्री सुधीर सिंह को कर दिया गया।

श्रीमती मधुबाला द्वारा स्वयं के नाम से आवास का लीज डीड परिर्वतन करवाने हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं प्रशासनिक शुल्क उच्च आय वर्ग दो बार विक्रय का राशि रुपये 40000.00 जमा कराकर चालान व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त आवास का लीज स्थानान्तरण उनके पक्ष में किया जावे।

अतः जरिये इस विज्ञिप्त यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 4/52 अरावली विहार पुरानी कॉलोनी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाड़ी के संबन्ध मे किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञिप्त के प्रकाशित होने के 10 दिवस मे आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी मे अपना एतराज लिखित मे प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती मधुबाला पत्नी श्री सुधीर सिंह के पक्ष मे आवास संख्या 4/52 अरावली विहार, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाड़ी जिला खैरथल-तिजारा के लीज स्थानान्तरण की कार्यवाही की जावेगी ।

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-भिवाडी

संख्यांक 2

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम । और 5)

न्यायालय अपर सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्र.-4, जयपुर महानगर-द्वितीय

श्रीमती मन्टू देवी बनाम मुकेश शर्मा व अन्य

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

वाद संख्या 147/2026

नाम

1-मुकेश शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा पार्टनर सप्तऋषि बिल्डकॉम प्रा. लि. निवासी-206, विनायक एनक्लेव, वैशाली नगर, जयपुर।
2-सतीश त्रिपाटी पुत्र श्री अवधेश नारायण त्रिपाटी पार्टनर सप्तऋषि बिल्डकॉम प्रा. लि., निवासी-ई-30, जमना नगर, सोडाला, जयपुर।
3-योगराज शर्मा पुत्र श्री गोविन्द नारायण शर्मा पार्टनर सप्तऋषि बिल्डकॉम प्रा.लि. निवासी- 21, सुन्दर नगर विस्तार, अजमेर रोड, जयपुर।

वादी ने आपके विरुद्ध उपरोक्त के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनाँक 21/11/2026 को दिन में 10.30 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वादकी सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज दिनांक 05 माह 11 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया।

मोहर अदालत

अपर जिला न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-4 जयपुर महानगर द्वितीय

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय अपर सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्र.-4, जयपुर महानगर-द्वितीय

श्रीमती मन्टू देवी बनाम मुकेश शर्मा व अन्य

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना-पत्र संख्या 164/2026

नाम

1- मुकेश शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा पार्टनर सप्तऋषि बिल्डकॉम प्रा. लि. निवासी-206, विनायक एनक्लेव, वैशाली नगर, जयपुर।
2- सतीश त्रिपाटी पुत्र श्री अवधेश नारायण त्रिपाठी पार्टनर सप्तऋषि बिल्डकॉम प्रा.लि. निवासी-ई-30, जमना नगर, सोडाला, जयपुर।
3- योगराज शर्मा पुत्र श्री गोविन्द नारायण शर्मा पार्टनर सप्तऋषि बिल्डकॉम प्रा.लि. निवासी- 21, सुन्दर नगर विस्तार, अजमेर रोड, जयपुर।

उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि उपरोक्त के लिये

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 21/11/2026 को स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज दिनांक 05 माह 11 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय को मुद्रा लगाकर दी गई।

मोहर अदालत

अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-4 जयपुर महानगर द्वितीय

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/100867 **लोक सूचना** दिनांक: 06.11.2026

श्रीमति MADHU MEHTA पत्नी श्री BHUPENDRA RAJ MEHTA जाति JAIN निवासी NEAR DGP BUNGLOW, BAPNA FLATS, HIRA BAGH, SAWAI RAM SINGH ROAD, JAIPUR - 302004 ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **वाणिज्य** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	स्वलाप क्षेत्रफल (हेक्ट.)
सिरोली, सांगानेर (जयपुर)	1.) मधुमेहता पत्नि भुपेन्द्रराज मेहता हिस्सा पूर्ण जाति जैन नि बाफना फ्लेट्स हीरा बाग सवाई रामसिंह रोड जयपुर खातेदार	3530/3520	0.2445	0.2445
			कुल	0.2445

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 - क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारी के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (https://jda.rajasthan.gov.in/) पर 'विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।' Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 06-11-2026 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी जोन-09**

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मस्जिद मोमिनान बालजी की कोठी का रास्ता, घाटगेट, जयपुर पर सूचनादाता के दादा हाफीज अब्दुल्ला द्वारा उक्त मस्जिद की जमीन मस्जिद बनाने के लिये तथा दुकानो के लिये दी गई थी जिस पर मेरे द्वारा व समाज के लोगो द्वारा मस्जिद तथा दुकाने तामीर कराई थी। मस्जिद का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे मेरे दादा के नाम से दर्ज है जिसका खसरा नम्बर 2719 से 2770 पर है। इस मस्जिद की देखभाल तथा दुकानो से किराया मुझे वसूल करने का अधिकार मुझे अधिकार है। पूर्व मे मेरे दादा हाफीज अब्दुल्ला तथा उनके इंतकाल के बाद मेरे वालिद अब्दुल रहमान जी तथा उनके इंतकाल के बाद मै उक्त मस्जिद का मुतवल्ली हूँ। कुछ असामाजिक तत्वो फरीदउद्दीन मुर्तजा आदि लोगो ने फर्जी कमेटी बनाई है जो पूर्णतया फर्जी व अवैध है यदि मस्जिद की दुकानो का कोई किरायेदार तथा कमेटी का कोई मेम्बर उक्त कमेटी के द्वारा किराया वसुल करेगा या किसी प्रकार का लेन-देन, इकरारनामा, किरायानामा, आदि बनायेगा तो वह पूर्णतय अवैध होगा तथा उक्त आपराधिक कृत्य के लिये कमेटी के सदस्य, पदाधिकारी तथा दुकानदार स्वयं ज़िम्मेदार होगे इस मस्जिद तथा दरगाह के बाबत दिनांक 03-07-2026 को राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा सूचनादाता के पक्ष मे स्थायी रूप से स्थगन आदेश/स्टे हो चुका है। उक्त स्टे के बावजूद कोई उक्त सम्पति बाबत अवैध कार्यवाही करेगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही पुलिस तथा न्यायालय मे की जावेगी व उसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगे।

(हसीन अख्तर) मुतवल्ली व संरक्षक मस्जिद मोमीयान, बाईजी की कोठी का रास्ता, घाटगेट, जयपुर मो. 9414079891

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रामदयाल, मोहनलाल, रामजीलाल पुत्रान् मोतीलाल, श्रीमति सावित्री देवी पत्नि श्री मोतीलाल के द्वारा अपनी कृषि भूमि खसरा नं0 190 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नं0 191 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नं0 426/1659 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नं0 427/1860 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर के संबंध मे दिनांक जुलाई, 2014 को श्री आमीन पुत्र श्री शरीफ खां निवासी कायमखानियो का मोहल्ला ग्राम आसोजाई तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर को मुख्यत्यार आम नियुक्त किया था। रामजीलाल पुत्र मोतीलाल की मृत्यु हो चुकी है। अब मेरे अभिभाष्यगण रामदयाल, मोहनलाल, पुत्रान् श्री मोतीलाल, श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री मोतीलाल निवासी जयरामपुरा ने दिनांक 05.11.2026 को उक्त मुख्यतारनामा आम जो आमीन के हक मे किया था उसे निरस्त कर दिया गया है। तथा निरस्तीकरण को नोटेरी पब्लिक से रजिस्टर करा दिया है। इसलिए अब आमीन मेरे अभिभाष्यगण का मुख्यतारआम नही है। उक्त कृषि भूमि के संबंध मे आम व खास कोई आमीन से किसी भी प्रकार का संव्यवहार या खरीद फरोक्त आदि नही करे न आमीन कोई विक्रय, हस्तान्तरण आदि करे न ही अन्य कोई व्यक्ति करे, सूचित रहे। श्री आमीन को भी इस संबंध मे जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचित कर दिया गया है।

जयपुर **आरिफ मोहम्मद, एडवोकेट**
दिनांक : 06.11.2026 **मो.नं.-7742611602**

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/102143 **लोक सूचना** दिनांक: 06.11.2026

श्री KUNJ BIHARI, श्री NARAYAN LAL SHARMA, श्री SHANKAR LAL SHARMA पुत्र श्री PRABHU NARAYAN SHARMA जाति BRAHMAN निवासी WARD NO- 9, GAYTRI MANDIR KE PICHE, VIMALPURA, SANGANER, JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	स्वलाप क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1	विमलपुरा, सांगानेर (जयपुर)	(1.) कुंज बिहारी पुत्र प्रभु नारायण हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण सा देह खातेदार 2.)	180	0.2	0.09
2		नारायण लाल शर्मा पुत्र प्रभु नारायण शर्मा	280	0.25	0.08
3		हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण सा देह खातेदार	281	0.17	0.17
4		3.) शंकर लाल शर्मा पुत्र प्रभु नारायण हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	282	0.11	0.05
				कुल	0.39

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 - क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारी के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (https://jda.rajasthan.gov.in/) पर 'विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।' Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में वह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 06-11-2026 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी जोन-14**